15/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण तथा वादीगण वकील वादिगण के उपस्थित होकर प्रार्थीगण पक्ष राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के पक्षकारान के मध्य समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। पक्षकारान मुकदमा के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। वादीगण/प्रार्थीगण अब वाद के आगे कोई कार्यवाही का चलाना नहीं चाहती है। अतः प्रार्थीगण पक्ष पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी वादीगण का वाद राजीनामे के आधार पर वापिस करार दिये जाने के आदेश पारित करावें। इनके पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पक्षकारान के मध्य समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण/प्रार्थीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण वाद स्वेच्छा से वापिस लिया जाता है। पत्रावली कार्यालय में नियम हेतु पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.12.03 15:33:55 IST
Reason: SelfAttested